मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

3056. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय यातायात समिति द्वारा वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश में कौन-कौन से मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अनुशंसा की गई थी तथा मार्च, 1996 तक इनमें से कितने मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया; और

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के लक्ष्यों की पूर्ति न होने से राज्य में विकास की गति में बाधा आई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) राष्ट्रीय यातायात समिति ने मध्य प्रदेश राज्य में/से होकर गुजरने वाली निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश की है:-

(i) ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-रीवा

(ii) नागपुर-ओबैदुल्लागंज (भोपाल को)

(iii) जबलपुर-शाहडोल-अम्बिकापुर-गुमला

(iv) रायपुर-वाराणसी

(v) बहरामपुर-रायपुर

(vi) अहमदाबाद-इन्दौर-देवास-भोपाल

(vii) जयपुर-कोटा-बायोरा (भोपाल को)

(viii) निजामाबाद-जगदलपुर

(ix) राजामुंदरी-जगदलपुर

उपर्युक्त सड़कों में से, क्रम सं॰ vii और viii सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की जा चुकी हैं।

(ख) राज्य में विकास की गति स्तरीय राजमार्गों सहित अनेक कारणों पर निर्भर करती है और यह जरूरी नहीं है कि वह केवल राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई पर निर्भर हो।

भारत-नेपाल और भारत-बंगलादेश शान्ति और मित्रता संबंधी संधियां

3057. **श्री राम जेठमलानी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल एवं भारत-बंगलादेश के मध्य हस्ताक्षरित शान्ति और मित्रता संबंधी संधियों की वैधता अवधि समाप्त होने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल ने इस संधि की अवधि को बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है जबकि बंगलादेश इस संधि की अवधि को आगे बढ़ाया जाना निरर्थक मानता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) (क) से (ग) नेपाल के साथ शांति एवं मैत्री सन्धि निरन्तर लागू रहेगी। इस प्रकार इसकी वैधता अवधि को बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री, सहयोग एवं शांति संधि 19 मार्च, 1972 को सम्पन्न हुई थी और 25 वर्ष के लिए अर्थात् 18 मार्च, 1997 तक वैध है। बंगलादेश की सरकार ने इस संधि के विषय में सरकारी तौर पर अपने किसी मत से हमें अवगत नहीं कराया है। संधि के नवीनीकरण के मामले पर सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा रक्षा संबंधी मामलों की जांच किया जाना

3058. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या रक्षा मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा जांच किए गए रक्षा संबंधी सौदों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) अब तक कितने मामलों की जांच पूरी हो गई है एवं इसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रक्षा सौदे के निम्नलिखित चार मामलों की जांच की गई:-

(1) आर सी 1(ए)/90-ए सी यू 4 (बोफोर्स मामला)

(2) आर सी 1(ए)/90-ए सी यू 4 (एच डी डब्ल्यू पनडुब्बी मामला)

(3) आर सी 62(ए)/88 डी एल आई (टेलीस्कोप के साथ स्निपर राइफल की खरीद)

(4) पी ई 5(ए)/94-डी एल आई (मैसर्स अशोक लेलैंड मामला)

(ख) दो मामलों की जांच अर्थात् आर सी 62(ए)/88-डी एल आई और पी ई 5 (ए)/94-डी एल आई का कार्य पूरा हो चुका है। मामला संख्या 62(ए)/88-डी एन आई को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण बन्द कर दिया गया और मामला पी ई 5 (ए)/94-डी एल आई के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संबंधित अफसर के आचरण पर नजर रखने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दी थी।

4—861 GIPMR/97.